Directorate Medical, Health & Family welfare (I.E.C.) Services, Rajasthan, Swasthya Bhawan, C-Scheme, Jaipur

(Telephone No.: 0141-2222817, 2221463, E-Mail address: directoriec-rj@nic.in)

NOTICE INVITING BIDS

NIB No.02/2014-15

1. Sealed Single Stage Two-envelopes unconditional Bids are invited on behalf of the Governor of Rajasthan for Rate Contract for Folk Events (Nukkad Natak, Lambi Tang, Kathputli Show & Cultural Activities) up to 12.00 noon of date 1.5.-9....2014

S. No.	Name of Article	Quantity and unit in Rs.	Amount of Bid Security Rs.	Bid Document Fees Rs.	Place of Event
1.	Cultural Activites	30.00 Lac	0.60 Lac	400/-	All Rajasthan

2. The Bid is for a Annual rate Contract.

3. Bidding Document can be seen and downloaded from the website of State Public Procurement Portal, "sppp.raj.nic.in" and "rajswasthya.nic.in".

Additional Mission Director (NHM),
Director (I.E.C.) & Joint Secretary,
Directorate Medical, Health & F.W.(I.E.C.)
Rajasthan, Jaipur

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (आई.ई.सी.) सेवायें, राजस्थान जयपुर (स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर—302005 फोन नं. 0141—2222018, 2221463)

प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड

(NIB No. 2/2014-15)

बिड फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि व समय — 15-19-2014 दोपहर 12.00 बजे तक बिड खोलने की तिथि व समय —15-19-2014 साय 03.00 बजे तक कार्य की अनुमानित लागत रूपये 30.00 लाख बोली प्रतिभूति राशि रूपये 0.60 लाख

बिड प्रपन्न शुल्क – 400 रूपये (डी.डी. संलग्न करे जो Director, I.E.C., JAIPUR के नाम से देय हो) बोली प्रतिभूति राशि – 0.60 लाख (डी.डी. संलग्न करे जो Director, I.E.C., JAIPUR के नाम से देय हो)

लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दर संविदा(बिड)

To,

Additional Mission Director (NHM), Director (I.E.C.) & Joint Secretary, Directorate Medical, Health & F.W.(I.E.C.) Rajasthan, Jaipur Swasthya Bhawan, C-Scheme, Jaipur -302005

We, the undersigned, declare that:

- 1. We have examined the Bidding Document
- 2. If our Bid is accepted, we commit to obtain a Performance Security.
- 3. We are not participating, as Bidders, in more than one Bid in this bidding process.
- 4. Our firm, its affiliates or subsidiaries, including any subcontractors or suppliers has not been debarred by the State Government or the Procuring Entity;
- 5. We understand that this Bid, together with your written acceptance shall constitute a binding contract between us, until a formal Contract is prepared and executed;
- 6. We understand that you are not bound to accept the lowest evaluated bid or any other bid that you may receive;
- 7. We agree to permit the Procuring Entity or its representative to inspect our accounts and records and other documents relating to the bid submission and to have them audited by auditors appointed by the Procuring Entity;
- 8. We declare that we have complied with and shall continue to comply with the provisions of the Code of Integrity for Bidders as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 and this Bidding Document in this procurement process and in execution of the Contract;
- 9. हम निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर द्वारा जारी की गयी बिड सूचना संख्या 02/2014—15 में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त बिड सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

5

- 10. इस तकनीकी बिंड के साथ निम्नांकित प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी अनिवार्य है जो संलग्न कर दी गई है:—
- i. बिड प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के दो पृथक-पृथक बैंकर चैक / बैंक ड्राफ्ट (मूल प्रति)
 - बिंड प्रपत्र शुल्क निदेशक, आई.ई.सी. के पक्ष में जयपुर में देय डी.डी. / बैंकर चैंक राशि रू. 400 / — मात्र
 - बोली प्रतिभूति राशि निदेशक, आई.ई.सी. के पक्ष में जयपुर में देय डी.डी. / बैंकर चैक राशि रू. 0.60 लाख मात्र
- ii. दिनांक 31.3.2014 तक का बिक्री कर / सेवाकर चुकता प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड की छाया प्रति।
- iii. बिडदाता फर्म पंजीकृत संस्था है तो पंजीयन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
- iv. फर्म के लेटर हैड पर फर्म के द्वारा धारित संसाधन/मशीनरी/मानव शक्ति की सूची।
- v. राजकीय विभाग, राजकीय उपक्रम एवं राजकीय कम्पनी में इसी प्रकार के कार्य करने का गत तीन वर्षों (2011–12 से 2013–14 तक) की अविध में से किसी भी वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण संलग्न किया जाना है।
- vi. फर्म के उक्त आशय के कार्यों के पिछले तीन वर्षों (2011–12 से 2013–14 तक) में से किसी एक वर्ष का टर्नओवर जो कि कार्य की अनुमानित लागत का 1.5 गुना या उससे अधिक हो। (सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षित अन्तिम लेखों की सत्यापित प्रति संलग्न की जावें)
- vii. आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्धारित बिडर द्वारा की जाने वाली घोषणाऐं एवं Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest (संलग्न Annx. A & B में)
- viii. बिडदाता यदि फर्म / कम्पनी है तो अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो इस बिड के लिये विशेष रूप से फर्म / कम्पनी द्वारा अधिकृत किया गया है, के प्राधिकार पत्र की प्रति जिस पर प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम, पता तथा फर्म / कम्पनी में उसकी स्थिति (Status) एवं उसके हस्ताक्षर प्रमाणित हो (संलग्न करावें)। विभाग अन्य किसी से इस संबंध में सम्पर्क नहीं करेगा। प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम, फर्म का पता एवं मोबाईल नं. व ई—मेल पता अंकित किया जाना अनिवार्य है।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर (नाम, पता, फोन नं सहित)



Financial Bid - FORM 'B' लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दर संविदा(बिड)

बिड जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय : /S-9-2014 दोपहर 12.00 बजे तक बिड खोलने की दिनांक व समय : /S-9-2014 सायं 03.00 बजे

कार्य की अनुमानित राशि रू. 30.00 लाख बोली प्रतिमूति राशि रू. 0.60 लाख

कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि रू. 1.50 लाख

हमारी फर्म निम्नांकित दरों पर लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम बिड शर्तो के अनुसार करने हेतु सहमत है। Rates of Folk Events

			Rates of Fork Ev		
क्र.	जिले का नाम	Rates in rupees per Folk Event inclusive of all taxes & other expenses			
सं.		लम्बी टांग • इस दल में दो सदस्य होंगे। एक लम्बी टांग वाला तथा दूसरे के पास भोपू होगा। • लम्बी टांग का एक कार्यक्रम सुबह ९ बजे से शाम 5 बजे तक होगा।	कठपुतली • इस कार्यक्रम के दल में • क्लाकार होंगे। • एक कार्यक्रम की अवधि कम से कम 1 घण्टा 30 मिनट होगी।	नुक्कड़ नाटक • इस कार्यक्रम के दल में 8 कलाकार होंगे। • एक कार्यक्रम की अवधि कम से कम 1 घण्टा 30 मिनट होगी। • हारमोनियम एवं आवश्यकतानुसार अन्य वाद्य यंत्र आवश्यक है।	कम ६ कलाकार होंगे।
1.	अजमेर				
2.	अलवर				
3.	बांसवाड़ा	,			
4.	बांरा			1	
5.	बाडमेर				
6.	भरतपुर				
7.	भीलवाड़ा				
8.	बीकानेर				
9.	बूंदी				
10.	चित्तौड़गढ़				
11.	चूरू				
12.	दौसा				
13.	धौलपुर				
14.	डूंगरपुर		<u> </u>		
15.	हनुमानगढ़				
16.	जयपुर				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

5

5

क्र.	जिले का नाम	Rates ir	rupees per Folk Ev	ent inclusive of all taxes &	other expenses
सं.		लम्बी टांग	कठपुतली	नुक्कड़ नाटक	सांस्कृतिक कार्यक्रम
\ \tag{41.}		• इस दल में दो सदस्य		्या क्यांक के का में	• इस कार्यक्रम के दल में कम से
		 इस दल न दा सदस्य होंगे। एक लम्बी टांग 	• इस कायक्रम क दल में 4 कलाकार होंगे।	• इस कायक्रम क दल म ४। कलाकार होंगे।	• इस कायक्रम के दल में कम स कम 6 कलाकार होंगे।
		हाना एक लन्या टान	ा व व कलाकार हागा जन्म वर्णाना के	कलाकार हान।	 एक कार्यक्रम की अवधि कम से
		वाला तथा दूसर क पास	। • एक कायक्रम का अवधि कम से कम 1	कम 1 घण्टा 30 मिनट होगी।	• एक कायक्रम का अवाध कम स
		भोपू होगा। • लम्बी टांग का एक	अवाध कम स कम 1		कम 1 घण्टा 30 मिनट होगी।
		• लम्बा टाग का एक	घण्टा 30 मिनट होगी।		• आवश्यकता अनुसार उत्तम
		कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।	हागा। 	आवश्यकतानुसार अन्य वाद्य	गुणवत्ता के वाद्य यंत्र भी होने
 	<u>,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>	शाम 5 बज तक हागा।		यंत्र आवश्यक है।	चाहिए।
17.	जैसलमेर				
18.	जालौर				
10.	जालार				-
19.	झालावाड़				
	411/11/11/9				
20.	झुझुंनू				
	""				
21.					
21.	जोधपुर				
22.	करौली				
~~.	9/((%)			·	
23.	कोटा				
			•		
24.	नागौर				
25.	पाली	777.1.			
2.5.	पाला				
26.	प्रतापगढ़	· - '			
├					
27.	राजसमंद				
				İ	
28.	ग्राची कार्या		·		
26.	सवाईमाधोपुर				
			`		
29.	श्रीगंगानगर				
				·	
					
30.	सीकर			-	
i l					
31.	सिरोही				
٠,١٠	14141		ļ		1
	•		İ		ľ
32.	टोंक				
	₹, 1°		j	1	İ
33.	उदयपुर		-		
	•			-	1
	<u> </u>				

नोट :--

विडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर (नाम, पता, फोन नं. सहित)

1 Folk Events Bid Doc. 2014-15

^{1.} बिंड में सभी जिलों के लिए चारों कार्यक्रमों की दर प्रस्तुत की जावे, अन्यथा बिंड अपूर्ण मानते हुए निरस्त समझी जावेंगी।

^{2.} कार्यक्रम जिला मुख्यालय, उपखण्ड, ब्लॉक, ग्राम पंचायत / ग्राम अर्थात सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्देशित स्थान एवं कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित किये जावेंगे। जिसके लिए सम्पूर्ण जिले की एक ही दर मान्य होगी।

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (आई.ई.सी.) सेवायें, राजस्थान जयपुर (स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 फोन नं. 0141-2222018, 2221463)

लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दर संविदा की निर्धारित अन्य शर्ते

- 1. बिड प्रपत्र में अंकित सभी शर्ते दर संविदा का भाग मानी जावेगी।
- 2. बिडदाता फर्म बिड प्रपत्र के Financial Bid FORM 'B' (BOQ) में ही अपनी दरें दर्शाएं। विभागीय प्रोफार्मा के अतिरिक्त दी गई दरें मान्य नहीं होगी। फर्म की कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी। सशर्त बिड निरस्त समझी जावेगी।
- 3. बिडदाता द्वारा अपनी बिड दो लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी, जिसमें से एक लिफाफे का नाम "तकनीकी बिड" होगा, इसमें दर संविदा फार्म प्रपन्न 'अ' तथा इस प्रपन्न के पैरा सं. 10 में उल्लेखित फर्म से संबंधित वांछित प्रमाण पत्न, घोषणा पत्न तथा बोली प्रतिभूति राशि एवं बिड प्रपन्न शुल्क के मूल डी.डी. / बैंकर चैक प्रस्तुत किये जावेंगे। दूसरा लिफाफा, जिसका नाम "वित्तीय बिड" होगा, उसमें वित्तीय बिड शीट Financial Bid FORM 'B' (BOQ) में अपनी दरें भरकर प्रस्तुत करनी होगी। दोनो लिफाफों पर "लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बिड" एवं NIB No. 2/2014-15 अंकित किये जावेंगा। उक्त दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफें (कवर) में रखकर प्रस्तुत करने होंगे।
- 4. निर्धारित तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मों की वित्तीय बिड नहीं खोली जावेगी। तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर विभागीय तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है, तो उस फर्म की बिड को रदद कर दिया जावेगा।
- 5. बोली प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत ली जावेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत होगी। जो सफल बिडदाता को विभाग द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करने पर निर्धारित समयाविध में निदेशक, आई.ई.सी. के पक्ष में जयपुर में देय बैंकर चैक/डी.डी. के माध्यम से जमा करानी होगी। साथ ही राशि रू. 1,000/— के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध का निष्पादन करना होगा।
- 6. फर्म को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मुद्रित सामग्री का वितरण एवं प्रदर्शन लोक कार्यक्रमों के दौरान करना होगा। लोक कार्यक्रमों के सम्पादन से सम्बन्धित समस्त सामग्री, वेशभूषा, वाद्ययंत्र एवं अन्य आवश्यक उपकरण फर्म को स्वयं व्यवस्था करनी होगी। विभाग द्वारा स्वीकृत दर के अतिरिक्त इनके लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेंगा।
- 7. फर्म को परिवहन व्यवस्था स्वयं के स्तर से करनी होगी। कलाकारों को उहरने व उनके खान-पीन की व्यवस्था भी फर्म को स्वयं के स्तर से करनी होगी। इनके लिए फर्म को पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
- 8. दल के पास उत्तम गुणवत्ता के वाद्ययंत्र एवं पोशाक साफ-सुथरी होनी चाहिए। कठपुतली भी उत्तम गुणवत्ता की होनी चाहिए।
- 9. कार्यक्रम प्रभावित आबादी क्षेत्र के सुगम एवं प्रमुख स्थान पर सम्पादित करना होगा। जिससे अधिकाधिक जनता को कार्यक्रम का लाभ मिल सकें। फर्म को "लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन कार्य" आदेश की दिनांक से निर्धारित दिवस में पूर्ण करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कार्यक्रम की स्क्रिप्ट का अनुमोदन किया जाकर फर्म को कार्यक्रम के निर्धारित स्थानों की सूची उपलब्ध कराई जायेगी।
- 10. कार्य सम्पादन में विलम्ब होने पर संलग्न प्रारूप एग्रीमेन्ट में अंकित अनुसार परिनिर्धारित क्षति की राशि फर्म को देय राशि में से काटी जावेगी। सारभूत त्रुटि होने की दशा में विभाग को कार्य अस्वीकार करने एवं अनुमोदित फर्म की रिस्क व कॉस्ट पर अन्यत्र से कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 11. राजस्थान राज्य की पंजीकृत फर्मों को राज्य सरकार की नीति के अनुसार मूल्य अधिमानता का लाभ दिया जावेंगा।
- 12. फर्म द्वारा कार्य करने के पश्चात् सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वाख्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित बिल एवं कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित स्वाख्यकर्मी/सचिव ग्राम पंचायत/सरपंच/प्रधानाध्यापक/ए.एन. एम./एल.एच.वी./पटवारी/राजपत्रित अधिकारी के प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में तथा फोटोग्राफ सहित बिल निदेशालय में प्रस्तुत किये जावेंगे। जिनका भुगतान विभाग एक माह में करने का प्रयास करेगा। किन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक माह से अधिक समय लगता है तो उस दशा में फर्म

a do

को भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जावेगा।

- 13. बिडदाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, विभाग में स्वीकार करने के बाद भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
- 14. बिना बोली प्रतिभूति राशि के एवं अपूर्ण भरी हुई बिंड पर विचार नहीं किया जायेगा एवं बिंड अस्वीकृत कर दी जावेगी।
- 15. बिड दाता फर्म का यह दायित्व होगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान उपस्थित जनसमुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने वाला कृत्य नहीं किया जावेंगा।
- 16. सांस्कृतिक दल को उपलब्ध कराये गर्ये निर्धारित स्थानों पर कार्यक्रम प्रदर्शन से एक घंटे पूर्व पहुँचकर कार्यक्रम का प्रचार—प्रसार किया जावेंगा तथा अधिकाधिक लोगों को कार्यक्रम देखने के लिए उपस्थित होने हेतु प्रेरित किया जावेंगा।
- 17. कार्यक्रम प्रदर्शन के पश्चात् आमजन को कार्यक्रम से जानकारी प्राप्त होने एवं कार्यक्रम के प्रदर्शन की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप उपस्थित आमजन से भरवाया जावेंगा। इस प्रारूप को भरने वाले नागरिक का नाम, पता, फोन नं. अंकित किये जावेंगे।
- 18. एक दिन में एक दल द्वारा दो से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन नहीं किया जावेगा।
- 19. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अधीन इस विभाग में प्रथम अपील प्राधिकारी "शासन उप सचिव (ग्रुप–2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर" तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी "शासन सचिव (प.क.) एवं मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर" होगें।
- 20. किसी भी बिंड को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर को होगा।
- 21. कार्य का निरीक्षण निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, जयपुर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा भी किया जावेगा। विभाग द्वारा कार्य के निरीक्षण के उपरान्त कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही भुगतान किया जावेगा। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर राशि कटौती का निर्धारण विभाग द्वारा कार्य की कमी/गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा। बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करना होगा जिस पर बिल संख्या, सेवाकर पंजियन संख्या, पैन नम्बर अंकित होना आवश्यक है।
- 22. सफल बिडदाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कार्य सम्पादन करने में असफल रहने पर अथवा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर विभाग को अनुमोदित फर्म के हर्जे—खर्चे पर अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य करवाने का अधिकारी होगा, साथ ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ली जावेगी।
- 23. बिड फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' में वर्णित कार्य संबंधी दरें समस्त कर शुल्क सामग्री, श्रम व्यय एवं परिवहन लागत आदि सहित अंकित होगी। इसके अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा।
- 24. कार्यक्रम दलों को किसी दुर्घटना/घटना के कारण कोई जान-माल की क्षति होती है तो इस विभाग/सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।
- 25. संविदा अवधि में कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्याधीन होंगी। संविदाधारक फर्म द्वारा इस संविदा अवधि में राज्य में किसी अन्य बिड में इस संविदा से कम कीमत पर बिड प्रस्तुत करता है, तो उसकी सूचना अविलम्ब विभाग को देगा।
- 26. सफल बिडदाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिये गये आदेशों को रद्द करते हुए बिडदाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ले।

27. किसी भी उत्पन्न विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

28. बिंड की अन्य शर्ते आर.टी.पी.पी. एक्ट/नियम के अनुसार लागू होंगी।

अतिरिक्त मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक (आई.ई.सी.) एवं संयुक्त शासन सचिव

~

Annexure - A

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure-B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

	in relation to my/our Bid submitted to for processing	urement of in response to their Notice
	Inviting Bids No Dated 1/w	e hereby declare under Section 7 of
	Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2	2012, that:
1.	I/we possess the necessary professional, technical, and competence required by the Ridding December 1.	financial and managerial resources
2.	and competence required by the Bidding Document iss I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of	the taxes navehlo to the TI.
	and dovernment of any local allinority as specified	in the Didding Dean
٤.	affairs administered by a court or a judicial office	being wound up, not have my/our
4.	suspended and not the subject of legal proceedings for I/we do not have, and our directors and officers not offence related to my/our professional.	or ony of the famous in
	ortion of telefold to my/our professional conduct or	the making of false at a
	misrepresentations as to my/our qualifications to ent a period of three years preceding the commencement have been otherwise discussified and the commencement	er into a programma
	mayo occir offici wise disqualified hijrshant to deharm	ent propositions.
5.	I/we do not have a conflict of interest as specified Document, which materially affects fair competition;	d in the Act Dules and the Dules
	Date:	Signature
	Place:	Signature of bidder Name:
		Designation: Address:

Annexure C

Grievance Redressal during Procurement Process

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be tiled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (I) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled

Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.



FORM No.I [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

	Appeal Noof			
	Before the (First/Second Appellate Authority)			
1.	Particulars of appellant: (i) Name of the appellant: 1. Official address, ifany: 2. Residential address:			
2.	Name and address of the respondent(s): (i) (ii) (iii)			
 4. 	Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action of omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:			
5.	Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:			
6.	Grounds of appeal:(Supported by an affidavit)			
7.	Prayer: Place Date			
	Appellant's Signature:			

लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र का प्रारूप

अतिरिक्त मिशन निदेशक (एन.एच.एम.), निदेशक (आई.ई.सी.) एवं संयुक्त सचिव, राजस्थान, जयपुर।

विषय: - सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने बाबत्। महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम/कस्बा जिला जिला
में मैसर्स द्वारा
विषय पर नुक्कड़ नाटक/ कठपुतली प्रदर्शन कार्य/लम्बी टांग/सांस्कृतिव
कार्यक्रम का आयोजन आज दिनांक को किया गया। जिसकी अवधि
मिनिट थी।
कार्यक्रम में कलाकार थे। इनके वाद्य यन्त्र एवं वेशभूषा
थे। कार्यक्रम में इनके द्वारा प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण किया गया / नहीं किया गया।
कार्यक्रम के सम्बन्ध में विशेष टिप्पणी :

हस्ताक्षर मय मोहर एवं तिथि

(स्वास्थ्यकर्मी / सचिव ग्राम पंचायत / सरपंच / प्रधानाध्यापक / ए.एन.एम. / एल.एच.वी. / पटवारी / राजपत्रित अधिकारी)

9

लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के सम्बन्ध में उपस्थित जन समुदाय की टिप्पणी का प्रारूप

1.	दर्शक / श्रोता का नाम : मो. नं. :
2.	ग्राम / करबा : जिला : जिला :
3.	कार्यक्रम आयोजन स्थल का पता :
4.	कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले दल / फर्म का नाम :
5.	कार्यक्रम जो किया गया का नाम : नुक्कड़ नाटक/ कठपुतली प्रदर्शन कार्य/लम्बी
	टांग / सांस्कृतिक कार्यक्रम
6.	कार्यक्रम आयोजन का दिनांक / समय / कार्यक्रम की अवधि :
	कुल कलाकारों की संख्या
8.	वाद्य यन्त्र सही एवं वेशभूषा साफ–सुथरी एवं कार्यक्रम के अनुसार थी अथवा नहीं :
9.	कार्यक्रम में प्रचार—प्रसार सामग्री का वितरण किया गया/अथवा नहीं :
10.	कार्यक्रम से कितने समय पूर्व दल उपस्थित हुआ :
11.	कार्यक्रम के सम्बन्ध में विशेष टिप्पणी :

हस्ताक्षर दर्शक/श्रोता